जेईई मेन में राजस्थान के चार टॉपर्स में आकाश कोचिंग के यशवर्धन

कोटा, (निसं)। राजस्थान से आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के विद्यार्थियों ने एक बार फिर जेईई मेन 2026 (सेशन 2) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य की शैक्षणिक उत्कृष्टता को साबित किया है। कोटा आकाश अकादमिक काउंसिल के स्वतंत्र सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल को जारी नेशनल टेस्टिंग एजसी के परिणामों के अनुसार, आकाश राजस्थान के छात्रों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की।

राजस्थान में आकाश कोचिंग के क्लासरूम स्टूडेंट यशवर्धन ने ऑल इंडिया रैंक 11 के साथ राजस्थान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। टॉप 100 में आकाश के 8 स्टूडेंट शामिल हैं जबकि टॉप 500 में 36 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। टॉप 100 में यशवर्धन के अलावा रैंक 27, 31, 43, 52, 68, 93 और 94 पर भी आकाश कोचिंग के स्टूडेंट रहे हैं।

कोटा आकाश कोचिंग से स्वास्तिक विकास 99.86 परसेंटाइल के साथ कोटा आकाश सेंटर टॉपर रहे हैं। इसके साथ ही यथारव अग्रवाल ने 99.95 परसेंटाइल प्राप्त किया। उनके बाद नेहा परवानी ने 99.89 परसेंटाइल और लिशा अग्रवाल ने 99.87 परसेंटाइल हासिल किए। स्वास्तिक बिकास देब ने 99.86 परसेंटाइल, प्रियांशु गुप्ता ने 99.85 परसेंटाइल, विभोर माहेश्वरी ने 99.83 परसेंटाइल, वैदिक दाधीच ने 99.82, प्रियांश भंडारी ने 99.81 परसेंटाइल, कनिष्क शर्मा ने 99.81 परसेंटाइल, रुद्राक्ष गुप्ता ने 99.79 परसेंटाइल, गार्गी पालीवाल ने 99.77 परसेंटाइल, दीपक व्यास ने 99.77 परसेंटाइल तथा चौतन्य नाटानी ने 99.73 परसेंटाइल प्राप्त किए। यह परिणाम राजस्थान के छात्रों की समग्र उत्कृष्ट उपलब्धि को दर्शाते हैं।

कोटा में आकाश कोचिंग के परिणामों की जानकारी दी गई। इस दौरान अकादमिक काउंसिल के स्वतंत्र सिंह, विकास माली, ऋषि जायसवाल, हर्षित गोयल, कोटा ब्रांच मैनेजर दिव्येश सिंह हाड़ा, एबीएम श्याम दीक्षित मौजूद रहे।

- **आकाश के विद्यार्थियों की शानदार सफलता, टॉप 100 में 8 और टॉप 500 में 36 स्टूडेंट हैं**

विद्यार्थियों की सफलता पर टिप्पणी करते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशक अखिलेश दीक्षित ने कहा कि राजस्थान के हमारे विद्यार्थियों के शानदार परिणाम उनकी शैक्षणिक प्रतिबद्धता और आकाश के मजबूत शैक्षणिक तंत्र का प्रमाण हैं। हमें उनकी मेहनत पर गर्व है और हम उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

कई विद्यार्थियों ने बताया कि आत्म-अनुशासन, निरंतर अभ्यास, सघन प्रशिक्षण, समय पर मार्गदर्शन और नियमित मूल्यांकन ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन और नियमित मॉक टेस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी पढ़ाई पर निरंतर ध्यान बनाए रखा, कमजोरियों की समय रहते पहचान की और अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया।

जेईई मेन वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है जिससे विद्यार्थियों को अपने पूर्व परिणाम में सुधार का अवसर मिलता है। यह परीक्षा एनआईटीज और आईआईआईटीज तथा अन्य सरकारी समर्थित संस्थानों में प्रवेश का माध्यम है, साथ ही जेईई एडवांस के लिए पात्रता प्रदान करती है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाती है। कोटा में आकाश कोचिंग के परिणामों की जानकारी दी गई। इस दौरान आकाश कोचिंग के विकास माली, ऋषि जायसवाल, हर्षित गोयल, कोटा ब्रांच मैनेजर दिव्येश सिंह हाड़ा, एबीएम श्याम दीक्षित मौजूद रहे।

आपसी कहासुनी को लेकर युवक पर चाकू से हमला

- **कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में देर रात्रि को मामला**

कोटा, (निसं)। महावीर नगर थाना इलाके में देर रात्रि को आपसी कहासुनी को लेकर जीजा पर साले व उसके बच्चों ने चाकू से हमला कर दिया एवं घर के बाहर खड़ी कार में भी तोड़-फोड़ की, हमले में घायल को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मामले में सामने आया कि इलाके के निवासी दिलीप सिंह साले के साथ एक शादी समारोह में गया था, जहां किसी बात को लेकर जीजा-साले में कहासुनी हो गई। जानकारी के अनुसार कहासुनी होने के बाद देर रात्रि को साले व उसके बच्चों ने आकर घर के बाहर खड़ी कार में तोड़-फोड़ की एवं विरोध करने पर दिलिप सिंह पर हमला कर दिया।

महावीर नगर थाने के एसआई कमल किशोर ने बताया कि इलाके के हरिओम नगर निवासी दिलीप सिंह अपने साले के साथ एक शादी समारोह में गये थे, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद साले व उसके बच्चों ने हरिओम नगर स्थित दिलीप सिंह के घर पर पहुंचकर घर के बाहर खड़ी कार में तोड़-फोड़ की, आवाज सुनकर दिलिप सिंह बाहर आया तो तोड़-फोड़ करने वालो ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, हमले में घायल को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एसआई ने बताया कि शादी समारोह में किसी बात को लेकर हुआ विवाद के चलते घटना हुई है, मामला दर्ज कर मामले की जांच कर हमलावरों की तलाश की जा रही है।

कार्यालय नगर परिषद बारां

क्रमांक : नपबा/तामरी शाखा/2026/661 दिनांक : 17.4.26

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रणवीर सिंह चौधरी निवासी बारां द्वारा नाम हस्तान्तरण चाहने वास्ते आवेदन किया है। जिसमें पट्टा विलेख दिनांक 30.07.2013 भूखण्ड संख्या 150 खसरा संख्या 115,116,118 माप 111.11 वर्गगज वाके सिद्धि विनायक नगर बारां का श्री माधोलाल भट्ट पुत्र श्री सुवालाल के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा पत्र दिनांक 23.07.2019 से उक्त भूखण्ड को श्री मुकुन्द मित्तल पुत्र श्री श्रीकृष्ण मित्तल को बेचान कर दिया व श्री मुकुन्द मित्तल पुत्र श्री श्रीकृष्ण मित्तल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा पत्र दिनांक 25.03.2026 से उक्त भूखण्ड को श्री देवेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रणवीर सिंह चौधरी को बेचान कर दिया। आवेदक द्वारा इसी आधार पर अपने नाम नाम हस्तान्तरण चाहा है।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-5 स्थान कोटा
श्रीमति जतिन्दर कौर सेठी विरुद्ध श्रीमति यशोदा देवी
बाबत : CS | वाद सं.: 48/01

बनाम श्रीमति यशोदा देवी गुप्ता पत्नी श्री गिर्राज किशोर जी जाति ...... निवासी- 88 बल्लभबाड़ी, कोटा जिला कोटा (राज.) ...... ने आपके विरुद्ध ...... के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 23 माह 04 सन् 2026 को दिन में 7:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 15 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। (मोहर) आज्ञानुसार शेहरिस्तेदार प्रथम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-5 कोटा

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-5 स्थान कोटा
श्रीमति जतिन्दर कौर सेठी विरुद्ध हेमन्त पाटनी
बाबत : CS | वाद सं.: 50/01

बनाम हेमन्त पाटनी पुत्र श्री हीरालाल जी पाटनी जाति ...... निवासी- 97 प्रताप नगर, दादाबाड़ी, कोटा जिला कोटा (राज.) ...... ने आपके विरुद्ध ...... के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 23 माह 04 सन् 2026 को दिन में 7:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 15 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। (मोहर) आज्ञानुसार शेहरिस्तेदार प्रथम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-5 कोटा

कोटा में विश्व पृथ्वी दिवस जो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर विज्ञान नगर स्थित कुटुर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्था की निर्देशक पूजा राजवंशी ने बताया कि हमने ओक्सिजोन पार्क में फैशन के माध्यम से अपना समर्थन प्रदर्शित करने का प्रयास किया है जिसमे परिधान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हर हाल में हरित-क्रांति का संदेश दिया।

गेहूं खरीद की समीक्षा, मंडियों-क्रय केन्द्रों में खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश

कोटा, (निसं)। कोटा-बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सीएडी सभागार में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राजफैड, तिलमसंघ, एनसीसीएफ और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में बिरला ने मंडियों एवं सभी खरीद केन्द्रों में गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफसीआई सहित सभी खरीद एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि एमएसपी पर बेचने के लिए गेहूं लेकर मंडी एवं खरीद केन्द्र पर आए किसान को खाली हाथ नहीं लौटना पड़े। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में किसानों को कोई समस्या नहीं आए, अधिकारी इसका ध्यान रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि जब तक जिले का तय लक्ष्य पूरा न हो, कोई भी खरीद केंद्र बंद न किया जाए। बिरला ने कहा कि आगामी दिनों में गेहूं की खरीद दुगुनी होने की संभावना को देखते हुए गेहूं के उठाव एवं गोदामों में अनलोडिंग की गति बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि एफसीआई के गोदामों के बाहर गाड़ियां दो दिन से अधिक खड़ी नहीं रहे, इसके लिए एफसीआई गोदामों में लेबर बढ़ाई जाए। उन्होंने राजफैड एवं तिलमसंघ को निर्देश दिए कि एक रेक की क्षमता के गेहूं की खरीद पूरी होने पर एफसीआई अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर क्रय केन्द्रों से गेहूं रेलवे यार्ड तक पहुंचाया जाए ताकि वहां से रेक की व्यवस्था की जा सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की व्यवस्था को लेकर कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों की बैठक ली।

लॉजिस्टिक और भंडारण व्यवस्था पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बारदाने के अभाव में किसानों के गेहूं की तुलाई नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोटा-बूंदी में बारदाने की कोई कमी नहीं हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग शीघ्र अपने स्तर पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर बारदाना खरीद के लिए वर्क ऑर्डर जारी करे। उन्होंने इस संबंध में शासन सचिव सहकारिता डॉ. समित शर्मा एवं खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार से फोन पर बात कर उन्हें निर्देश दिए कि बारदाना की समस्या का समाधान कर गेहूं की खरीद बढ़ाएं। उन्होंने एफसीआई अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि राजफैड सहित अन्य एजेंसियों को यदि खराब बारदाना उपलब्ध कराया गया है तो उसे वापस लिया जाए। बिरला ने एमडी राजफैड सौरभ स्वामी से बात कर जिले में गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं होने तक राजफैड के किसी भी खरीद केन्द्र को बंद नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी खरीद का लक्ष्य पूरा हो जाए तो भी राजफैड उसे तब तक खुला रखें जब तक पूरे जिले में गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो। उन्होंने मंडियों में जिंसों की आवक, किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, तुलाई और खरीद प्रक्रिया को सरल व सुचारू बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने खरीद केन्द्रों पर तुलाई कांटों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही, मंडियों में तिरपाल, छाया-पानी इत्यादि का इंतजाम करने के निर्देश मंडी सचिवों को दिए। बैठक में एफसीआई के जीएम विजय चौधरी ने बताया कि कोटा संभाग में गेहूं खरीद का जो लक्ष्य रखा गया है उसके अनुसार खरीद की पूरी तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों से गेहूं के उठाव के लिए रेक की व्यवस्था की जाएगी।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ 11/विक्रय/2026/71 दिनांक-20.4.2026

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत् आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 128 रानी लक्ष्मी बाई नगर आवासीय योजना में हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 614 दिनांक 27.09.2021 को श्रीमती राधिका गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्रीमती राधिका गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती कन्या देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द गौतम द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2026 को श्रीमती मंजू जांगीड़ पत्नी श्री सत्यनारायण जांगीड़ को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती मंजू जांगीड़ पत्नी श्री सत्यनारायण जांगीड़ द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 128 रानी लक्ष्मी बाई नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मंजू जांगीड़ पत्नी श्री सत्यनारायण जांगीड़ के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-157 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-17.04.26

आवास संख्या 1-भ-12 दादाबाडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री विजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री किशोर कुमार के नाम दिनांक 05.08.1999 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री किशोर कुमार द्वारा दिनांक 10.08.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री किशोर कुमार की मृत्यु दिनांक 15.08.2002 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण रिलीज डीड के आधार पर श्री हरीश कुमार एवं श्री तुलसीदास पुत्रान स्व. श्री किशोर कुमार के नाम दिनांक 03.01.2004 को किया गया। तत्पश्चात श्री हरीश कुमार एवं श्री तुलसीदास पुत्रान स्व. श्री किशोर कुमार द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 04.07.2014 को श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री सरदार दलजीत सिंह उदासी एवं सरदार महेन्द्र सिंह उदासी पुत्र श्री सरदार दलजीत सिंह उदासी को किया गया। श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री सरदार दलजीत सिंह उदासी एवं सरदार महेन्द्र सिंह उदासी पुत्र श्री सरदार दलजीत सिंह उदासी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 19.02.2026 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। श्री राजेन्द्र लालवानी पुत्र श्री नानक राम लालवानी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-भ-12 दादाबाडी, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री राजेन्द्र लालवानी पुत्र श्री नानक राम लालवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री राजेन्द्र लालवानी पुत्र श्री नानक राम लालवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्री राजेन्द्र लालवानी पुत्र श्री नानक राम लालवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-5 स्थान कोटा
श्रीमति जतिन्दर कौर सेठी विरुद्ध श्रीमति रुपलीला देवी
बाबत : CS | वाद सं.: 52/01

बनाम विजेन्द्र नारायण राय पुत्र दरोगा राय जाति ...... निवासी- जे.के. नगर, कोटा (राज.) ...... ने आपके विरुद्ध ...... के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 23 माह 04 सन् 2026 को दिन में 7:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 15 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। (मोहर) आज्ञानुसार शेहरिस्तेदार प्रथम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-5 कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/167 **विज्ञप्ति** दिनांक : 20.4.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम देवली अरब खसरा नं. 105 में स्थित कृषि भूमि योजना आकाश नगर भूखण्ड संख्या 34-सी/2 आवेदक/आवेदिका श्रीमती निर्मला पत्नि श्री मनोज निवासी खटीक मोहल्ला, कोटडी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 1647 दिनांक 31.03.2013 को मोहम्मद हनीफ पुत्र श्री नत्थूखान के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा भूखण्ड संख्या 34-सी का उप विभाजन आदेश क्रमांक 751 दिनांक 03.03.2022 से भूखण्ड संख्या 34-सी/1 ऐरिया 83.33 वर्गगज एवं 34-सी/2 ऐरिया 83.33 वर्गगज के रूप में किया गया है। पट्टाधारी द्वारा भूखण्ड संख्या 34-सी/2 ऐरिया 83.33 वर्गगज का जर्ये पंजीकृत मुख्तारआम दिनांक 28.03.2022 से श्री मेघ श्याम सिंह पुत्र श्री शिव सिंह को नियुक्त किया गया है। मुख्तारआम द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2022 को आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती निर्मला पत्नि श्री मनोज निवासी खटीक मोहल्ला के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

वाकपीठ संगोष्ठी का समापन

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर के इंदौर स्टेडियम में सत्रारंभ ब्लॉक स्तरीय दो दिवसीय संस्था प्रधान वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि मगन लाल यादव सेवानिवृत्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मांगरोल, विशिष्ट अतिथि ओमप्रकाश राठौर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खैराबाद एवं अध्यक्षता धनराज द्वारा की गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुआ। वाकपीठ कार्यकारिणी द्वारा मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह भेटकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि मगन लाल यादव द्वारा संस्था का सकारात्मक शैक्षिक वातावरण एवं प्रभावी विद्यालय संचालन के बारे में बताया गया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश राठौर द्वारा स्टाफ सदस्यों के साथ समन्वय कर विद्यालय में नवाचार लाने और शिक्षा में क्रांति लाने का आव्हान किया गया। प्रधानाचार्य रामचरण मकवाना द्वारा एफ एल एन पर वार्ता प्रस्तुत की गई, अंकुर शर्मा द्वारा राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई व सरफराज द्वारा लाडो योजना के संबंध में जानकारी साझा की गई।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की टेकनोर एपेक्स के साथ जॉइंट वेंचर पॉलिटेक की घोषणा

कोटा, (निसं)। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की सब्सिडरी श्रीराम पॉलिटेक लिमिटेड ने टेकनोर एपेक्स बी.वी. के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की।

यह उद्यम पॉलिटेक ब्रांड के नाम से चलेगा। यह साझेदारी डीसीएम श्रीराम के पॉलिमर कम्पाउंड पोर्टफोलियो को मजबूत करेगी, जिसमें श्रीराम पॉलिटेक की घरेलू विनाइल कम्पाउंडिंग क्षमता और टेकनोर एपेक्स की वैश्विक फॉर्मूलेशन विशेषज्ञता का संयोजन होगा। इसका लक्ष्य विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले स्पेशियलिटी पॉलिमर समाधान प्रदान करना है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और खपत का सबसे तेजी से बढ़ता हब बन रहा है, जहाँ आधुनिक पॉलिमर कम्पाउंड्स में इनोवेशन के बड़े अवसर हैं। यह साझेदारी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी तथा उद्योगों में उन्नत तकनीकों को सुलभ बनाकर उत्पाद प्रदर्शन सुधारेगी। डीसीएम श्रीराम के चेयरमैन एवं सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर अजय एस. श्रीराम ने बताया कि यह साझेदारी वैश्विक विशेषज्ञता और घरेलू क्षमता के संयोजन से भविष्योन्मुखी कारोबार बनाएगी। कंपनी उच्च-प्रदर्शन वाले उत्पादों का बड़े पैमाने पर विकास करेंगी तथा उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतें पूरी करेंगी। टेक्नोर एपेक्स के सीईओ डोनल्ड वाईसमैन ने कहा, श्रीराम पॉलिटेक की विनाइल सामग्री में मजबूती और एशिया की प्रमुख औद्योगिक प्रणाली के लिए श्रेष्ठ समाधान देगी। यह उद्यम संचालन दक्षता, पैमाने, स्थायित्व और जिम्मेदार विकास पर केंद्रित है, जो पर्यावरण मानकों के अनुरूप उपभोक्ता जरूरतें पूरी करेगा तथा भारत जैसे महत्वपूर्ण बाजार में विकास को गति देगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2026-27/101193 दिनांकः 21.04.2026

लोक सूचना

श्री MAHESH GUPTA पुत्र श्री RAMESH CHAND GUPTA जाति MAHAJAN निवासी 801-801, ROYAL ARTINA APARTMENT PRATAP NAGAR DADABARI, KOTA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का अन्य संस्थानिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रथकांकरा, लाइपुरा (कोटा)	MAHESH GUPTA S/O RAMESH CHAND JAATI MAHAJAN	118	2500	0.25
				कुल	0.25

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21-04-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-5 स्थान कोटा
श्रीमति जतिन्दर कौर सेठी विरुद्ध सुशीला देवी
बाबत : CS | वाद सं.: 46/01

बनाम सुशीला देवी पत्नी श्री किशनलाल जी जाति ...... स्थान- प्लाट नम्बर 7, अशोका कोलोनी, कोटा (राज.) ...... ने आपके विरुद्ध ...... के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 23 माह 04 सन् 2026 को दिन में 7:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 15 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। (मोहर) आज्ञानुसार शेहरिस्तेदार प्रथम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-5 कोटा

माजिद अख्तर एडवोकेट ऐडिशनल पोलिंग ऑफिसर नियुक्त

रामगंजमंडी, (निसं)। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव 22 अप्रैल बुधवार को सम्पन्न होंगे। बार काउंसिल आफ राजस्थान द्वारा रामगंजमंडी के लिये माजिद अख्तर एडवोकेट को ऐडिशनल पोलिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जिनके निर्देशन में ही उक्त चुनाव सम्पन्न करवाऐ जाऐंगे। चुनाव की निगरानी एसडीएम रामगंजमंडी द्वारा की जावेगी तथा नसरूद्दीन एडवोकेट एवं ममता भारती सहायक मतदान अधिकारी रहेंगे।

स्थाई वारंटी गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। सीआई राजेश खटाना के अनुसार 10 साल से फरार चल रहा जिला स्तरीय टॉप-10 मोटरसाईकिल चोर गिरोह का सरगना स्थाई वारंटी व 10 हजार रूपये का ईनामी आरोपी मुकेश भील (32) पुत्र हजारीलाल बेरखेडी थाना जामनेर गुना मप्र को गिरफ्तें में लिया।

जेईई मेन रिजल्ट-मोशन के विद्यार्थियों ने फिर लहराया सफलता का परचम

कोटा, (निसं)। जेईई-मेन (बीई-बीटेक) के परिणाम में मोशन एजुकेशन के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शानदार सफलता हासिल की है। मोशन के 66.73 प्रतिशत विद्यार्थी जेईई-एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई हुए हैं।

इस उपलक्ष में मंगलवार शाम मोशन के द्रोणा-2 कैम्पस में जमकर जश्न मनाया गया। मोशन एजुकेशन के फाउंडर और एजुकेटर नितिन विजय ने बताया कि साल 2026 में मोशन के 10 हजार 124 विद्यार्थियों ने जेईई मेन एग्जाम दिया था। इसमें से 6 हजार 756 का चयन जेईई एडवांस्ड के लिए हुआ है। इस प्रकार मोशन का सलेक्शन रेशियो 66.73 प्रतिशत रहा। यह सफलता राष्ट्रीय औसत से 4.10 गुना अधिक है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर सलेक्शन रशियो केवल 16.26 प्रतिशत रहा है। टॉप सौ में 4 और दो हजार में से 71 विद्यार्थी मोशन के आए हैं। टॉप 100 में में हर्ष बाजपेयी ने आल इंडिया रैंक 44, सुशांत अग्रवाल ने 57, लक्षित सिनसिनवार ने 73 और दिव्य यादव ने 79वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा ध्रुव बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी रक्षक सरय्याम ने एसटी केटेगिरी में ऑल इंडिया 13वीं रैंक हासिल की है। नितिन विजय ने कहा कि यह सफलता को विद्यार्थियों की मेहनत और अभिभावकों के भरोसे का परिणाम है। द्रोणा-2 कैम्पस में मंगलवार शाम सफलता का जश्न मनाया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स खूब थिरके। जॉइंट डायरेक्टर और जेईई डिवीजन के हेड रामरतन द्विवेदी, डिप्टी डायरेक्टर निखिल श्रीवास्तव और अन्य सीनियर फेकल्टी ने चयनित विद्यार्थियों और टॉपर्स का अभिनंदन किया। वक्ताओं ने कहा कि देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के परिणाम में मोशन के सितारों ने अपनी और फेकल्टीज की मेहनत के दम पर शानदार कामयाबी हासिल की हैं।

कोटा में मोशन कोचिंग के स्टूडेंट ने सफलता का जश्न मनाया।

- **टॉप 100 में 4 और दो हजार में से 71 विद्यार्थी मोशन के**
- **सलेक्शन रशियो 66.73 प्रतिशत रहा**

टॉपर्स ने इस दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी सफलता का आधार नियमित प्रैक्टिस, टॉपिक-वाईज शॉर्ट नोट्स और लगातार रिवीजन रहा। उनका कहना था कि अंतिम एक-दो महीने की पढ़ाई से जेईई जैसी परीक्षा में सफलता संभव नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें अनुशासन और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण हैं। कोटा का माहौल, यहां की प्रतिस्पर्धा और शानदार सिस्टम छात्रों को एक अलग ही मानसिकता देते हैं। यहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, बल्कि एक सिस्टम के तहत लक्ष्य की ओर बढ़ने की आदत विकसित की जाती है। अनुभवी और सपोर्टिव फैकल्टी इस प्रक्रिया को दिशा देते हैं, लेकिन अंततः सफलता छात्र की स्वयं की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/521 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-21.04.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका छबडा क्षेत्र में स्थिति भूखण्ड/मकान के नामान्तरण हेतु नगरपालिका कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत है। निम्न भूखण्ड/मकान का नामन्तरण/ हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण पत्र के अन्दर म्याद 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	नाम सम्पत्ति मालिक जिसके नाम दस्तावेज अनुसार सम्पत्ति है। एवं पता सम्पत्ति जहां स्थित है।	आवेदनकर्ता का नाम जो दस्तावेज के आधार पर सम्पत्ति स्वयं के नाम पर दर्ज करवाना चाहता है।
1	2	3
1	श्री जमनालाल आत्मज रामसुख जाति धाकड निवासी कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज.) भूखण्ड साइज 394 वर्गफीट (43.77 वर्गगज)	श्री राधेश्याम, श्री बृजमोहन, श्री सुरेश कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, अनिता मालव, सन्तोष पुत्र/पुत्री स्व. जमनालाल जातियान धाकड निवासी कडैया नोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज.) भूखण्ड साइज 394 वर्गफीट (43.77 वर्गगज) (श्री जमनालाल आत्मज रामसुख की मृत्यु उपरांत नामान्तरण हेतु)

नोट-उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा धारक की मृत्यु उपरान्त वारीसन के पक्ष में हस्तांतरण के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथी से 07 दिवस तक अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज नगर पालिका छबडा में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/515 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-21.04.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका छबडा क्षेत्र में स्थिति भूखण्ड/मकान के नामान्तरण हेतु नगरपालिका कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत है। निम्न भूखण्ड/मकान का नामन्तरण/ हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण पत्र के अन्दर म्याद 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	नाम सम्पत्ति मालिक जिसके नाम दस्तावेज अनुसार सम्पत्ति है। एवं पता सम्पत्ति जहां स्थित है।	आवेदनकर्ता का नाम जो दस्तावेज के आधार पर सम्पत्ति स्वयं के नाम पर दर्ज करवाना चाहता है।
1	2	3
1	श्री सीताराम माहेश्वरी आत्मज सोहनलाल जाति महाजन निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज.) भूखण्ड साइज 979 वर्गफीट (108.77 वर्गगज)	श्री राधेश्याम, श्री बृजमोहन, श्री सुरेश कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार मालव पुत्रगण स्व. श्री जमनालाल जातियान धाकड निवासी कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज.) भूखण्ड साइज 979 वर्गफीट (108.77 वर्गगज) (आवेदकगण में से श्री रामस्वरूप आत्मज श्री जमनालाल की मृत्यु उपरांत नामान्तरण हेतु)

नोट-उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा धारक की मृत्यु उपरान्त वारीसन के पक्ष में हस्तांतरण के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथी से 07 दिवस तक अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज नगर पालिका छबडा में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबड़ा